




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 77 ]  
No. 77 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 21, 1999/भाद्र 30, 1921  
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 1999/BHADRA 30, 1921

## भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1999

सं. 301-4/99-टी.आर.ए.आई./इकोन.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी राजपत्र में एक आदेश द्वारा भारत में तथा भारत के बाहर प्रदान की जाने वाली दूरसंचार सेवाओं के प्रभारों को अधिसूचित करने के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निम्नलिखित आदेश देता है।

## दूरसंचार टैरिफ (पॉचवॉ संशोधन) आदेश, 1999

(1999 का क्रमांक 6)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:—

- (i) इस आदेश का नाम "दूरसंचार टैरिफ (पॉचवॉ संशोधन) आदेश, 1999" होगा.
- (ii) दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999, दूरसंचार टैरिफ (पहला संशोधन) आदेश, 1999, दूरसंचार टैरिफ (दूसरा संशोधन) आदेश, 1999, दूरसंचार टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 1999, दूरसंचार टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 1999, के उपबंध इस आदेश के साथ उनकी विसंगति के सीमा तक, निरस्त हुए समझे जाएंगे.
- (iii) इस आदेश में "अधिनियम" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 अभिप्रेत है.

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची (आई एस डी एन के अलावा, बुनियादी सेवाएं) में सेलूलर मोबाइल के लिए कॉलिंग पार्टी पेज (सी पी पी) व्यवस्था के लागू होने की तारीख से:

(i) मद 1 निम्नानुसार जोड़ा जाना है:-

(1.) सेलूलर मोबाइल के लिए कॉलिंग पार्टी पेज टैरिफ (सी पी पी) व्यवस्था के अधीन सेलूलर मोबाइल को की गई कॉलों के लिए टैरिफ लागू होने की तारीख	01 नवम्बर, 1999
--	-----------------

(ii) मद 11 के अन्तर्गत, मद 11.क और 11.ख के बीच मद 11.क निम्नानुसार शामिल किया जाना है:

(11) स्थानीय कॉलों के लिए पल्स दर (रेट)	
(11.क) सेलूलर मोबाइल के लिए की गई कॉलें	कॉल के शुरू में जवाब मिलने पर दो पल्स और उसके बाद प्रत्येक 60 सेकण्ड पर एक पल्स

(iii) मद 12 के अन्तर्गत, मद 12.क के बाद 12.क तथा मद 12.क.iii के बाद 12.क.i से 12.क. iii निम्नानुसार सम्मिलित किए जाने हैं:-

(12) व्यस्त समय के लिए पल्स दरें	कॉल के शुरू में जवाब मिलने पर दो पल्स और उसके बाद नीचे दी गई दरों पर एक पल्स	
(12.क) सेलूलर मोबाइल को की गई उपभोक्ता ट्रंक डायलड घरेलू लम्बी दूरी की कॉलें	ऑरिजिनेटिंग चार्जिंग सेन्टर और जिस सेन्टर में गेटवे एम.एस.सी. स्थित है, उनके बीच रेडियल या अरीय दूरी	1 नवम्बर, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक (सेकण्ड)
	50 कि.मी. तक	वही जो सेलूलर मोबाइल को की गई स्थानीय कॉल के लिए है.
	50 कि.मी. से अधिक और 200 कि.मी. तक	11
	200 कि.मी. से अधिक और 500 कि.मी. तक	4.4
	500 कि.मी. से अधिक और 1000 कि.मी. तक	3.3
	1000 कि.मी. से अधिक	2.3
	नोट:-	
	(1) बाद की अवधियों के लिए पल्स रेट, अलग से भविष्य में निर्धारित किया जाएगा.	
	(2) गेटवे एम एस सी वह एम.एस.सी. है जो, पी एस टी एन की तरह, स्पष्ट बताए गए नेटवर्क - नेटवर्क इंटरफेस द्वारा, अन्य सार्वजनिक नेटवर्कों से जुड़ा हो	

(12.क.i) सेलूलर मोबाइल को की गई एस टी डी कॉल के लिए एक मिनट की अवधि का व्यस्त घण्टों के दौरान टैरिफ प्रति मीटर्ड कॉल 0.80 रु. पर	ऑरिजिनेटिंग चार्जिंग सेन्टर और जिस सेन्टर में गेटवे एम.एस.सी. स्थित है, उनके बीच रेडियल या अरीय दूरी	1 नवम्बर, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक (रु०)
	50 कि.मी. तक	2.40
	50 कि.मी. से अधिक और 200 कि.मी. तक	5.60
	200 कि.मी. से अधिक और 500 कि.मी. तक	12.00
	500 कि.मी. से अधिक और 1000 कि.मी. तक	16.00
	1000 कि.मी. से अधिक	22.40
(12.क.ii) सेलूलर मोबाइल को की गई एस टी डी कॉल के लिए एक मिनट की अवधि का प्रभार व्यस्त घण्टों के लिए प्रति मीटर्ड कॉल 1.00 रु. पर	ऑरिजिनेटिंग चार्जिंग सेन्टर और जिस सेन्टर में गेटवे एम.एस.सी. स्थित है, उनके बीच रेडियल या अरीय दूरी	1 नवम्बर, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक (रु०)
	50 कि.मी. तक	3.00
	50 कि.मी. से अधिक और 200 कि.मी. तक	7.00
	200 कि.मी. से अधिक और 500 कि.मी. तक	15.00
	500 कि.मी. से अधिक और 1000 कि.मी. तक	20.00
	1000 कि.मी. से अधिक	28.00
(12.क.iii) सेलूलर मोबाइल को की गई एस टी डी कॉल के लिए एक मिनट की अवधि का प्रभार व्यस्त घण्टों के लिए प्रति मीटर्ड कॉल 1.20 रु. पर	ऑरिजिनेटिंग चार्जिंग सेन्टर और जिस सेन्टर में गेटवे एम.एस.सी. स्थित है, उनके बीच रेडियल या अरीय दूरी	1 नवम्बर, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक (रु०)
	50 कि.मी. तक	3.60
	50 कि.मी. से अधिक और 200 कि.मी. तक	8.40
	200 कि.मी. से अधिक और 500 कि.मी. तक	18.00
	500 कि.मी. से अधिक और 1000 कि.मी. तक	24.00
	1000 कि.मी. से अधिक	33.60
नोट :- उपर्युक्त धनराशि में जवाब मिलने पर दोगुनी पल्स के लिए व्यवस्था है.		

- (iv) यह 13.क के अन्तर्गत 13.क.i के पश्चात् निम्नानुसार 13.क.i डालना है और 13.क.ii के बाद 13.क.ii डालना है:

<p>(13.क.) मैनुअल टंक कॉलों के लिए</p> <p>(13.क.i) एस टी डी सुविधा वाले स्थानों से/तक सेलूलर मोबाइल के लिए कॉलें</p> <p>(13.क.ii) बिना एस टी डी सुविधा वाले स्थानों से/तक सेलूलर मोबाइल के लिए कॉलें</p>	<p>(i) 5 रु. प्रति कॉल</p> <p><u>जमा</u></p> <p>(ii) एस टी डी घरेलू लम्बी दूरी की कॉलों का प्रभार, जो सेलूलर मोबाइल को की जाने वाली कॉलों पर लागू है.</p> <p><u>बशर्ते कि</u></p> <p>इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम प्रभार वह धनराशि होगी जो एक मिनट की एस टी डी घरेलू लम्बी दूरी की कॉल पर लागू हो.</p> <p>उपर्युक्त प्रभारों की यह सीमा है.</p> <p>वही प्रभार होगा जो उपर (13.क.i) में दिए गए हैं, यह मानते हुए कि इन स्थानों में एस टी डी सुविधा उपलब्ध है.</p>
--	--

3. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची II (सेलूलर मोबाइल दूरसंचार सेवा) में सेलूलर मोबाइल के लिए सी पी पी लागू होने की तारीख से मौजूदा मद 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जाए:

मद	टैरिफ
(1) लागू करने की तारीख	01 नवम्बर, 1999
(7) किराया	मेट्रो सेवा क्षेत्रों के लिए 475 रु. प्रतिमाह, और परिमण्डल या सर्किल सेवा क्षेत्रों के लिए 500रु. प्रतिमाह.
(8) मानक समय के दौरान सभी जावक कॉलों के लिए एअर टाइम प्रभार	(क) मेट्रो सेवा क्षेत्रों के लिए: पहले मिनट के लिए 4रु. प्रति मिनट और उसके बाद प्रति 30 सेकण्ड अवधि पर 2रु. (ख) सर्किल सेवा क्षेत्रों के लिए: पहले मिनट के लिए 4.50रु. प्रति मिनट और उसके बाद प्रति 30 सेकण्ड अवधि पर 2.25रु.

(9) <u>रियायती समय के दौरान सभी जावक कॉलों के लिए एअर टाइम प्रभार</u>	इस शर्त पर निरपेक्ष कि टैरिफ, मानक समय टैरिफ से कम होगा, बशर्ते कि रविवार के दिनों तथा तीन राष्ट्रीय अवकाशों (26 जनवरी, 15 अगस्त व 2 अक्टूबर) के दिनों में एअर टाइम का मूल्य रियायती दरों पर लिया जाएगा।
(10) <u>सेलूलर मोबाइल को आने वाली सभी कॉलों के लिए टैरिफ</u>	कॉल्लड पार्टी से कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा
(11) <u>मोबाइल से पी एस टी एन को जावक कॉलों का टैरिफ</u>	टैरिफ में निम्नलिखित शामिल हैं:— एअर टाइम; तथा पूरक दीर्घ दूरी प्रभार यदि लागू हो; तथा स्थिर नेटवर्क के लिए समय-समय पर लागू स्थानीय व लम्बी दूरी की कॉलों के लिए, पी एस टी एन नेटवर्क प्रदाता को सेलूलर मोबाइल नेटवर्क प्रदाता द्वारा भुगतान
(12) <u>मेट्रो लाइसेंसी सेवा क्षेत्रों के भीतर, मोबाइल से मोबाइल को, जावक कॉलों का टैरिफ</u>	कॉलिंग पार्टी को एअर टाइम अदा करना है, और यदि काल दूसरे नेटवर्क के लिए है तो, टर्मिनल सेलूलर मोबाइल नेटवर्क के राजस्व हिस्से के रूप में, दूरसंचार इण्टरकनेक्शन (प्रभार और राजस्व भागीदारी – पहला संशोधन) विनियम, 1999 में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रभार भी देना है।
(13) <u>ऊपर मद् (12) में शामिल नहीं की गई, मोबाइल से मोबाइल को, जावक कॉलों का टैरिफ</u>	टैरिफ में निम्नलिखित शामिल हैं:— एअर टाइम, तथा दूरी पर आधारित पूरक लम्बी दूरी प्रभार; तथा यदि काल दूसरे नेटवर्क के लिए है तो, टर्मिनल सेलूलर मोबाइल नेटवर्क के राजस्व हिस्से के रूप में, दूरसंचार इण्टरकनेक्शन (प्रभार और राजस्व भागीदारी – पहला संशोधन) विनियम, 1999 में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रभार भी देना है।

	उपयुक्त तकनीकी व्यवस्थाएं करके, सेवा प्रदाता कॉलिंग पार्टी को उसके द्वारा देय पूरक प्रभार की राशि बताएगा.
--	---

नोट:—

1. कॉल फॉरवर्डिंग दो कॉलें मानी जाएंगी – एक वह कॉल जो फारवर्ड करने से पूर्व कॉलिंग पार्टी को और दूसरी वह जिसे कॉलिंग पार्टी ने फारवर्ड किए जाने वाले नम्बर पर किया हो. इस आदेश में निर्दिष्ट प्रभार इन दो कॉलो के प्रत्येक कॉल पर लागू होगा। दूसरी कॉल के मामले में (अर्थात् फारवर्ड की गई कॉल) जो कॉल पार्टी कॉल को फारवर्ड करेगी, उस कॉल की वह कॉलिंग पार्टी होगी।
2. कॉल फारवर्डिंग की ही तरह रोमिंग भी दो कॉलें मानी जाएंगी। एक वह जो कॉल अन्तरण से पहले (यदि कोई है) कॉलिंग पार्टी से कॉल पार्टी को ओर रोमिंग के मामले में कॉल पार्टी को। दूसरी, रोमिंग के मामले में, कॉल नम्बर से रोमिंग पार्टी को। इस आदेश में विनिर्दिष्ट प्रभार, कॉल के प्रथम अंश (यानि रोमिंग पार्टी को कॉल फारवर्ड करना) पर फिलहाल निरपेक्षता है।
3. इस आदेश में अनुबन्ध 'क' में व्याख्यात्मक ज्ञापन-5 दिया गया है जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में किए गए इस सशोधन के कारणों का वर्णन है।

आदेशानुसार,

हर्ष वर्धन सिंह, आर्थिक सलाहकार

[सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/142/99]

अनुबंध-क  
व्याख्यात्मक ज्ञापन-5

1. दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999, जो प्राधिकरण के टैरिफ परामर्शों की परिणतिथा, उसमें अधिकांश का यह दृष्टिकोण स्पष्ट रहा है कि आवक याने आने वाली कालों का एयरटाइम प्रभार बहुत निरुत्साहित करने वाला तत्त्व है जिसके कारण फोन के उपयोग में कमी आती है। अनेक अवसरों पर स्पष्ट किया गया है कि सेल्यूलर मोबाइल के उपभोक्ता अपने फोन नम्बर अन्य लोगों को देना नहीं चाहते ताकि आने वाली कालों के एयरटाइम प्रभार से बचा जा सके। सेलूलर मोबाइल उपभोक्ताओं की डाइरेक्टरी न आ पाने का यह भी एक कारण है।
2. फोन के उपयोग में वृद्धि करना दूरसंचार टैरिफ रचनातंत्र का महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इस उद्देश्य को पूरा करने में वर्तमान बुनियादी अथवा आधारभूत सेवाओं की भाँति सेल्यूलर मोबाइल के कालिंग पार्टी पेज सी पी पी तंत्र से सहायता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, सी पी पी से सेल्यूलर मोबाइल के ग्राहकों के लिए सेल्यूलर सेवा अधिक सस्ती हो जाएगी। इस तंत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में कॉल प्राप्त करने वाले लोगों के लिए भी सेल्यूलर सेवा का व्यय कम हो जाएगा। इसके अंतर्गत भुगतान का उत्तरदायित्व भी कालिंग पार्टी पर चला जाएगा क्योंकि वही वह पार्टी होती है जिसे कॉल की गई पार्टी से संपर्क करने की आवश्यकता पड़ती है। फोन के प्रयोग में वृद्धि से उपभोक्ताओं को व्यापक तौर पर संतोष होगा और इससे आर्थिक लाभ भी होगा और सामाजिक संबंधों में बढोतरा होगी। यथा समय इससे औसत लागत घटेगी और सेल्यूलर मोबाइल एवं बुनियादी सेवाओं-दोनों के टैरिफ कम होंगे। इसलिए प्राधिकरण ने सेल्यूलर मोबाइल सेक्टर में सी पी पी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

3. प्राधिकरण ने अपने दूरसंचार टैरिफ आदेश {टी ओ टी}, 1999 में इस बात का उल्लेख किया है कि तेल्लूर मोबाइल सेक्टर में कालिंग पार्टी पेज {सी पी पी} व्यवस्था का तंत्र । अगस्त, 1999 से लागू किया जाएगा । विभिन्न सेवा प्रदाताओं विशेष रूप से दूरसंचार विभाग {डी ओ टी} के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया था । प्रत्यक्ष रूप से सी पी पी में अपेक्षित परिवर्तन करने वाले सेवा प्रदाताओं के साथ प्राधिकरण के हाल के परामर्श के दौरान यह बात सामने आयी कि सी पी पी के कार्यान्वयन में कुछ और अतिरिक्त समय की आवश्यकता पड़ेगी ।
4. वर्तमान तंत्र या व्यवस्था के स्थान पर सी पी पी तंत्र संचालित करने में आने वाली सभी समस्याओं के लिए व्यापक परिवर्तन करने में अनेक क्षेत्रों में पर्याप्त तकनीकी नवीकरण एवं उन्नयन की आवश्यकता होगी । फिलहाल सी पी पी, समस्त परिस्थितियों के अधिकांश पहलुओं पर ध्यान देते हुए संचालित किया जा रहा है और कुछ समस्याओं को भविष्य में सुलझाने की आवश्यकता की बात कहीं जा रही है ।
5. सी पी पी के अंतर्गत टैरिफ व्यवस्था पर विचार विमर्श के दौरान, एक बड़ा नीति संबंधी परिवर्तन हुआ जिससे तेल्लूर सेवा प्रदाताओं द्वारा देय लाइसेंस शुल्क पर अंतरिम बदलाव आ गया, नई व्यवस्था में, सेवा प्रदाताओं द्वारा लाइसेंस शुल्क के भुगतान में सामान्यता काफी कमी हो जाएगी । लाइसेंस शुल्क, लागत का एक घटक होता है इसलिए उसमें कमी से सेवाप्रदाताओं की अर्थक्षमता बढ़ेगी । प्राधिकरण इस बात को समझता है कि राजस्व भागीदारी लागू हो जाने पर भी कुछ हद तक अनिश्चितता बनी रहती है । तथापि, प्राधिकरण की राय में लागत में काफी कमियाँ हों तो उनका असर टैरिफ में होना चाहिए । उदाहरण के लिए, नई लाइसेंस शुल्क प्रणाली



पर चले जाने पर लागत में जो कमी होती है तो उसका फायदा ग्राहक को भी कम टैरिफ के रूप में मिलना चाहिए, तदनुसार, प्राधिकरण ने तात्कालिक आंकड़ों के आधार पर एक परामर्श पत्र {परामर्श पत्र सं० 99/4, दिनांक 31 अगस्त, 1999} तैयार किया, और सेलुलर मोबाइल के नियंत्रित, सी पी पी प्रणाली के अंतर्गत, बदली हुई लाइसेंस शुल्क व्यवस्था से उत्पन्न कुछ टैरिफ कमियाँ प्रस्तावित की ।

6. इस मामले पर 7 सितंबर 1999 को नई दिल्ली में एक ओपन हाउस बैठक हुई । इस बैठक से जो खास बिंदु या मुद्दे सामने आए वे निम्नलिखित हैं:-

- आराम कालों के लिए प्रस्तावित राजस्व राशि प्रति मिनट की काल के आधार पर 0.60 ₹ प्रति मिनट बहुत ही कम है । इसके विरुद्ध, बुनियादी सेवा प्रदाताओं का यह भी विचार था कि 0.60 ₹ प्रति मिनट की, सेलुलर सेवा प्रदाताओं को देय राशि बहुत ही अधिक है,
- बुनियादी से सेलुलर मोबाइल कालों के अपेक्षाकृत कम टैरिफ की वजह से उत्पन्न, सेलुलर मोबाइल से कालवैक के कारण, उपर्युक्त कम राशि का विपरीत प्रभाव और अधिक हो जाएगा ,
- मेट्रो और सर्किलों को अलग तरीकों से लेना चाहिए ,
- सेवा प्रदाताओं द्वारा उठाई जा रही वर्तमान हानियों को देखते हुए, सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं के निमित्त वित्तीय समापन {और वित्तीय अर्थक्षमता} की संभावना प्रस्तावित टैरिफों से विपरीत प्रभाव पड़ेगा ,

- इस संदर्भ में, आय-व्यय आँद की आँतीरक दरों पर जोर न देकर, नकदी प्रवाह याने कैश फ्लो पर जोर देना चाँहए,
- "के-पेक्स" में बढ़ो स्तरी उससे ज्यादा होगी जो परामर्श पत्र में शामिल की गई है ;
- दीर्घ दूरी टैरफों से, अँतीरम राजस्व भाग सेलूलर मोबाइल को मिलना चाँहए ;
- जब तक संशोधीत लाइसेंस शुल्क प्रणाली स्थायी तौर पर अमल में नहीं आ जाती तब तक टैरफों को बदलना नहीं चाँहए ;
- टैरफ की प्रणाली या व्यवस्था को बार-बार नहीं बदलना चाँहए उसमें स्थायित्व जरूरी है ;
- सी पी पी व्यवस्था होने पर बुनियादी सेवा प्रदाताओं को आँतीरकत छर्वा करना पड़ेगा ।

7. जिन लोगों ने यह कहा था कि प्रस्तावित टैरफों से उनकी वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा उनसे टी आर ए आई ने अपने दावों के समर्थन में आँकड़े देने को कहा था । जो विमलेश्या और आँकड़े टी आर ए आई को दिए गए वे प्रस्तावित टैरफों के प्रभाव को जानने के लिए समीचीन नहीं थे, इस बारे में टी आर ए आई को जो भी संशोधीत सूचना मिलती रहेगी, वह उसका परीक्षा जारी रखेगा । तब तक, पूरी तरह अँतीरम रूप से, सेलूलर मोबाइल के साथ, कुछ टैरफ कीमयां टी आर ए आई अधिसूचित कर रहा है । यह अधिसूचना निम्नीलीजत कारणों से है :

- लागतों में कभी का फायदा ग्राहकों को घटे हुए टैरफ के रूप में मिलना चाँहए ;

- लागतों में कमी में विप्लव हो सकता है, और तब तक नई लाइसेंस शुल्क प्रणाली के अंतर्गत लागत-कमी काफी समय तक चलती रह सकती है। इस अंतरिम अवधि के लाभ ग्राहकों को दे पाना मुश्किल होगा ;
- कई स्थानों में जो वास्तविक टैरिफ पैकेज इकट्ठा टैरिफों सीहत चल रहे हैं उन्हें देखते हुए पर्याप्त लागत कमी के फायदों को ग्राहकों तक पहुँचाना और भी जरूरी हो जाता है :
- इसके अलावा, वर्तमान कार्य को प्राधिकरण के उन दो अन्य पहल या शुरुआतों के साथ देखना चाहिए जिनमें से एक लागत आधारित अभिभ्रम/उपयोग प्रभार प्रणाली पर है, और दूसरा राजस्व की प्रतीक्षता को लाइसेंस शुल्क की तरह लिस जाने की सिफारिश पर है ;
- ये दोनों पहल महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अर्थसमता के अध्ययन में, टैरिफ भी आ जाता है और लाइसेंस शुल्क के रूप में लिया जाने वाला राजस्व प्रतीक्षता भी, और क्योंकि अभिभ्रम/उपयोग प्रभार प्रणाली, सेलुलर मोबाइल के लिस कम आने वाले राजस्व के मामले का समाधान का प्रयास करती है ;
- सार्वजनिक सेवा दायित्वों के निधीयन के लिस प्रस्तावित लेवी के प्रभाव भी, संशोधित टैरिफ व्यवस्था या प्रणाली में आ जायेंगे ।

६. सेलुलर मोबाइल उपभोक्ता या ग्राहक के लिस सी पी पी प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि उसे आनी वाली कॉलों का भुगतान नहीं करना पड़ता। इस समय जैसा कि प्राधिकरण ने निर्धारित किया है आने वाली कॉलों के सेलुलर मोबाइल टैरिफ का भुगतान

करना पड़ता है । दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 में, आने वाली कॉलों के प्रभार सीहत समस्त टैरिफ टॉचा प्राधिकरण ने सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदान करने में बर्झ होने वाली लागत को शामिल करते हुए निर्धारित किया है । टैरिफ संबंधी द्वितीय परामर्श दस्तावेज परामर्श पत्र सं० 98/3 दिनांक 9 सितंबर, 1999 के अनुसार सर्किलों में सेलुलर मोबाइल टैरिफ को लागत में जोड़ने में कीठनाई के कारण ये लागत महानगरीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित हैं । सी पी पी के तहत, आवक या आने वाली कॉलों के प्रभार को समाप्त करने से सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं या संभरकों के उस राजस्व में कमी आएगी जो लागत पूरा करने के लिए उपलब्ध होता है । यद्यपि सी पी पी के संचालन से फोन के प्रयोग और ग्राहक आधार में वृद्धि होगी तथापि उक्त प्रयोग और ग्राहक आधार से प्राप्त बढ़ी हुई आय से, आवक कॉल के प्रभार को समाप्त करने से राजस्व में जो घाटा हुआ है, उसके पूरा होने की संभावना नहीं है । इसलिए सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता की व्यवस्था को व्यवहार्य और अर्थक्षम बनाए रखने के लिए, और लागत पूरा करने के लिए कुछ राजस्व अन्य साधनों से उसके निमित्त जुटाना पड़ेगा । जैसा उम्तर बताया गया है, यह राजस्व सेलुलर मोबाइल के लिए अतिरिक्त धन नहीं होगा बल्कि यह उस राजस्व की आंशिक पूर्ति स्वरूप होगा जो फिलहाल सेलुलर मोबाइल के लिए, आवक कॉल के प्रभार से उपलब्ध हो रहा है ।

9. उपर्युक्त राजस्व पक्ष से अलग, सेलुलर मोबाइल तक आने वाली प्रत्येक आवक काल टर्मिनीटिंग नेटवर्क को मिलने वाले राजस्व से जुड़ा होना चांहेस क्योंकि नेटवर्क का काम काल को पूरा करना होता है, और राजस्व न मिलने पर नेटवर्क बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन

नहीं रह जाता । इसके अतिरिक्त सामान्यतया, इस लागत में उन स्थितियों की लागतें शामिल होनी चाहिए जब कालबैक की बहुत संभावना हो । आचक कालों का यह राजस्व, मुख्यतया बुनियादी सेवा से सेलूलर मोबाइल सेवा को किए गए कालों से निधिपोषण है ।

10. जैसा कि टैरिफ संबंधी द्वितीय परामर्श पत्र में कहा गया है कि आधारभूत या बुनियादी सेवा से सेलूलर मोबाइल पर किए गए कॉल का व्यय, इसी प्रकार की बुनियादी सेवा ग्राहक को किए गए कॉल के व्यय से अधिक होता है । सेलूलर मोबाइल तक कॉल करने में प्रतीष्ठित या प्रीमियम सेवा प्राप्त होती है क्योंकि जिस पार्टी से संपर्क करना होता है, उससे उन परिस्थितियों में भी संपर्क किया जा सकता है जिनमें सामान्यतया स्थिर लाइन सेवाओं पर यह संभव नहीं होता । इसीलिए इस प्रीमियम सेवा उदाहरणार्थ, जिसका प्रावधान यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन के तहत जरूरी नहीं है का उपयोग करने के लिए कॉलिंग पार्टी से अतिरिक्त राशि का भुगतान लेना न्यायोचित है । इसके अलावा, जैसा उभर बताया गया है, इसी काल प्रभार से, सेलूलर मोबाइल को किए गए आचक कालों के भुगतान का निधिपोषण भी होता है ।

11. टैरिफ संबंधी द्वितीय परामर्श पत्र में ऐसी राजस्व भागीदारी प्रस्तावित थी कि सेलूलर मोबाइल को कॉल करने वाले बुनियादी सेवा ग्राहक से ₹ 3.90 प्रति मिनट लिया जाए और इस राशि की 85 प्रतिशत राशि सेलूलर मोबाइल सेवा प्रदाता को दे दी जाए ।

12. सी पी पी के अपने प्रस्तावों के संबंध में प्राधिकरण के पास अनेक टिप्पणीयां आईं। सामान्य रूप से, सभी संबंधितों ने सी पी पी के संचालन का समर्थन किया। तथापि कुछ का विचार यह था कि ₹ 3.90 प्रति मिनट टैरिफ अध्या टी टी ओ 1999 के उपरांत ₹ 3.60 प्रति मिनट बहुत अधिक है और इससे बुनियादी सेवा उपभोक्ता से सेलुलर मोबाइल उपभोक्ता को की जा रही कॉलें कम हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त, जहां बुनियादी सेवा प्रदाता इस प्रकार की कॉलें पर प्रति मिनट लेस जाने वाले प्रकार की राशि का 40 से 50 प्रतिशत भाग रखना चाहते हैं, वहां सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता 85 प्रतिशत से अधिक राशि अपने लेस चाहते हैं। दोनों अपने-अपने दावों का आधार यह बताते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था में उनकी आय में कमी होगी। इस संबंध में बुनियादी सेवा प्रदाताओं ने यह भी कहा है कि वे अनेक कॉलें निःशुल्क अर्थात् ₹ 1.20 प्रति मीटर्ड कॉल की ऊपरि सीमा से कम टैरिफ दर पर प्रदान करते हैं। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि दूरसंचार विभाग ने टैरिफ पुनर्संयोजन करते समय इस बात पर बल दिया कि यदि दूरसंचार विकास और टेलीडेनीसटी में अपेक्षित सुधार करने के उद्देश्यों को पूरा करना है तो उनकी आय में अधिक कमी नहीं होनी चाहिए।

13. विभिन्न सेवा प्रदाताओं के विविध, एवं परस्पर विरोधी उद्देश्यों पर एक साथ विचार किया जाना आवश्यक है ताकि उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ न पड़े। इस संबंध में यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि सेलुलर मोबाइल सेवा अन्य लोगों को सेलुलर मोबाइल ग्राहक के संपर्क में रहने की सुविधा प्रदान करती है अध्यात्

प्रीमियम कॉलों की सुविधा § । इसीलिए, सी पी पी प्रणाली सेलुलर मोबाइल ग्राहक के लिए उन लोगों के कॉलों का उत्तर देने की सुविधा प्रदान करती है जिनसे उक्त ग्राहक सेलुलर मोबाइल फोन पर बात करना चाहता है ।

14. सी पी पी प्रणाली से सेलुलर मोबाइल के उपभोक्ताओं का लागत भार कम होगा, इस कथन के संबंध में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है । सी पी पी प्रणाली के अंतर्गत बुनियादी सेवा उपभोक्ता से सेलुलर मोबाइल को क्लिप जाने वाले कॉल के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट टैरिफ के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं : बुनियादी सेवा उपभोक्ता से इस प्रीमियम काल के प्रभार को कम रखना और सेलुलर मोबाइल के आने वाले काल का प्रभार समाप्त होने से राजस्व क्षति को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए, सेलुलर मोबाइल नेटवर्क के लिए तर्कसंगत राजस्व राशि प्रदान करना, और नेटवर्क के उपयोग पर कुछ भुगतान करना ।
15. यहां विनिर्दिष्ट राजस्व भागीदारी व्यवस्था अंतरिम है, और इसका उद्देश्य सेलुलर मोबाइल नेटवर्क के इस्तेमाल के लिए भुगतान का है । बाद में इसे लागत आधारित उपयोग प्रभार से बदल दिया जाएगा जिसे प्राधिकरण निर्धारित करेगा, यह अंतरिम राजस्व भागीदारी, टर्मिनेशन प्रभार के उपयोग के रूप में कुछ भुगतान की व्यवस्था करती है । इस आदेश में, आधक कालों के लिए टर्मिनेटिंग सेलुलर नेटवर्क को दिए गए इस राजस्व को "मोबाइल टर्मिनेशन चार्ज § अर्थात् प्रभार§" या "एम टी सी" कहा गया है ।
16. सेलुलर मोबाइल के लिए सी पी पी प्रणाली इस विधि से कार्यान्वित की जा रही है कि टर्मिनेटिंग सेलुलर मोबाइल नेटवर्क, केवल अपने

नेटवर्क ध्याने इंटरनेट-वर्क कालों के भीतर रिकस गर कालों को छोड़कर बुनियादी सेवा उपभोक्ता अथवा सेलूलर मोबाइल से आने वाले सभी कालों के लिए सम टी सी प्राप्त करता है । सम टी सी का भुगतान सम टी डी अथवा आई एस डी कालों के लिए भी किया जाएगा । अन्य विवरण के लिए दूरसंचार इंटरकनेक्शन प्रभार एवं राजस्व भागीदारी - प्रथम संशोधन विनियम, 1999 देखें ।)

17. सम टी सी सदैव समान होगा चाहे काल किसी भी प्रकार का, अर्थात् स्थानीय, एस टी डी, आई एस डी कुछ भी हो क्योंकि इससे सेलूलर मोबाइल के लिए सी पी पी प्रणाली के कार्यान्वयन में, इन कालों में भेद करना अनावश्यक होगा । इसमें यह अंतर्निहित होगा कि बुनियादी और सेलूलर मोबाइल दोनों ही ग्राहकों से, सेलूलर मोबाइल पर रिकस गर, एस टी डी कालों के प्रभार में परिवर्तन किया जाए ।
18. विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने निम्नलिखित किया है कि बुनियादी से सेलूलर मोबाइल पर रिकस कालों के लिए भुगतान की गई प्रारंभिक राशि इतनी न्यूनतम होनी चाहिए कि उससे कुछ तर्कसंगत राजस्व मिले जिसे संबंधित सेवा प्रदाताओं में बाँटा जा सके । इसके लिए पल्स दर में दोनों सेवा प्रदाताओं को होने वाली आय को ध्यान में रखकर, परिवर्तन करना चाहिए । साथ ही उक्त परिवर्तन करते समय यह भी ध्यान में रखा जाए कि उपभोक्ता पर भी अनावश्यक बोझ न पड़े । प्राधिकरण ने इसके लिए बुनियादी सेवा उपभोक्ता द्वारा सेलूलर मोबाइल को काल करने से जवाब मिलने पर दोगुनी पल्स की व्यवस्था की है और पल्स की अवधि भी बढ़ा दी है । इसके परिणामस्वरूप टैरिफ



संबंधी द्वितीय परामर्श पत्र में प्रस्तावित टैरिफ से कम टैरिफ देना संभव होगा। इस प्रकार, बुनियादी सेवा उपभोक्ता से सेलुलर मोबाइल पर किए जाने वाले स्थानीय कॉल के लिए, ग्राहक को आरंभिक प्रभार का भुगतान करने के पश्चात्, बात करने के लिए अधिक समय मिलता है। और ग्राहक से प्रति मिनट के हिसाब से ली जाने वाली राशि, एक मिनट से लम्बी कॉल के लिए कम होती जाएगी।

19. अपने डाल के 31 अगस्त 1999 के परामर्श पत्र में प्राधिकरण ने, आवक कालों के लिए, टर्मिनोटिंग सेलुलर मोबाइल नेटवर्क को, 120 सेकंड का प्लस रेट और 0.60 एसएस प्रति प्लस के भुगतान का प्रस्ताव किया था। इसके कारण ये धे कि एक तो बुनियादी सेवा उपभोक्ताओं की वर्तमान परिस्थितियों में ज्यादा विघ्न न पड़े और दूसरे, भावी अभिन्न/उपयोग प्रभार प्रणाली आवक कालों के प्रभार संबंधी मुद्दे को व्यापक रूप से सुलझा सकेगी। इस कार्य से कुछ और पहलुओं का भी समाधान हो सकेगा जैसे लंबी दूरी की कालों के राजस्व में सेलुलर मोबाइल का राजस्व भाग, आदि।

20. परामर्शों के दौरान प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वर्तमान टैरिफ प्रणाली जिस अंतरिम अवोध के लिए भी अमल में है उसमें कालबैक बढ़ने की काफी संभावना है। इसलिए, 0.60 एस प्रति प्लस के कम प्रभार को बनाए रखने का बोझ बढ़ जाएगा और उसका समाधान भी जरूरी होगा। तब, 31 अगस्त 1999 के परामर्श पत्र में प्रस्तावित, बुनियादी से सेलुलर मोबाइल को किए गए कालों के प्रभार बढ़ाने होंगे। इससे आवक कालों से अधिक राजस्व मिलेगा, और सेलुलर मोबाइल को कालबैक का मुद्दा भी कुछ सुलझेगा, तथापि, प्राधिकरण अभी भी यह मानता है कि अंतरिम व्यवस्था के दौरान आवक कालों के राजस्व उतने अधिक नहीं होने चाहिए जितने, उदाहरणार्थ, टैरिफों पर दूसरे परामर्श पत्र में सुझाए गए हैं।

21. प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि, बुनियादी सेवा से सेलुलर मोबाइल को किए गए स्थानीय कॉलों के मामले में, जवाब मिलने पर काल का दोगुना पल्स हो और पल्स रेट एक मिनट का हो। इस प्रकार बुनियादी नेटवर्क से सेलुलर मोबाइल पर की गई स्थानीय कॉलें यदि 60 सेकंड से कम अवधि की हैं तो ग्राहक को दो मीटर्ड कॉलों का भुगतान करना होगा ; ग्राहक द्वारा भुगतान की गई वास्तविक राशि उस कॉल प्रभार पर निर्भर करेगी जो मीटर्ड कॉलों पर लागू होगा। 60 सेकंड की कॉल का भुगतान तीन मीटर्ड कॉलों के बराबर होगा। अगले 60 सेकंड के लिए केवल एक मीटर्ड काल के बराबर प्रभार लिया जाएगा और इसके पश्चात के 60 सेकंड का प्रभार केवल एक मीटर्ड कॉल के बराबर होगा। उदाहरण के लिए, यदि प्रभार ₹ 0.80 अथवा ₹ 1.00 अथवा ₹ 1.20 प्रति मीटर्ड कॉल लागू है तो बुनियादी सेवा उपभोक्ता को सेलुलर मोबाइल पर स्थानीय कॉल करने पर निम्नलिखित प्रभार का भुगतान करना होगा :

बुनियादी से सेलुलर मोबाइल पर स्थानीय काल की अवधि	यदि प्रभार ₹ 0.80 प्रति मीटर्ड काल है तो भुगतान की राशि	यदि प्रभार ₹ 1.00 प्रति मीटर्ड काल है तो भुगतान की राशि	यदि प्रभार ₹ 1.20 प्रति मीटर्ड काल है तो भुगतान की राशि
60 सेकंड तक	₹ 1.60	₹ 2.00	₹ 2.40
60 सेकंड अथवा अधिक परंतु दो मिनट से कम	₹ 2.40	₹ 3.00	₹ 3.60
2 मिनट अथवा अधिक, लेकिन 3 मिनट से कम	₹ 3.20	₹ 4.00	₹ 4.80

- 22• बुनियादी सेवा से स्थानीय काल करने वाली पार्टी को काल के प्रारंभ में दोगुनी पल्स और उसके पश्चात 60 सेकंड पल्स के आधार पर पीरकीलित उपर्युक्त के अलावा किसी अतिरिक्त प्रभार का भुगतान नहीं करना होगा ।
- 23• प्राधिकरण ने निष्कर्ष लिया है कि, टर्मिनेटिंग सेलुलर मोबाइल नेटवर्क को 0.80 से प्रति पल्स {या मीटर्स काल यूनिट} के हिसाब से भुगतान किया जाए । यह देखते हुए कि, किसी बुनियादी सेवा नेटवर्क से होकर जाने वाली {या उससे शुरू होने वाली} किसी काल के मूल या स्रोत पर ध्यान दिए बिना समय की प्रति यूनिट सम टी सी की निश्चित राशि का भुगतान, टर्मिनेटिंग सेलुलर मोबाइल नेटवर्क को किया जाना है, उपर्युक्त शर्तों में यह प्रदर्शित किया गया है कि शुरुआती सेवा प्रदाता द्वारा सम टी सी का भुगतान, ग्राहक द्वारा सेलुलर मोबाइल को किए गए काल के टैरिफ के भुगतान से पूरी तरह संबंधित नहीं है । इसके अतिरिक्त, बुनियादी सेवा ग्राहक से, बुनियादी सेवा नेटवर्क के जोर से, पार-गमित या ट्रांजिट होने वाले सेलुलर मोबाइल पर किए जाने वाले स्थानीय कालों के लिए उपर्युक्त प्रभार विस्तृत और व्यापक प्रभार हैं और कालिंग पार्टी से ट्रांजिट नेटवर्क के उपयोग प्रभार हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाना चाहिए ।
- 24• बुनियादी सेवा नेटवर्क से होकर गुजरने वाली कालों समेत, सेलुलर मोबाइल से सेलुलर मोबाइल तक की इंटर-नेटवर्क कालों के लिए, सम टी सी राशि को टैरिफ के भाग के रूप में दिखाया गया है, यह अनुसूची 11 में विनिर्दिष्ट सअरटाइम {या अन्य पूरक} प्रभारों के अलावा है ।
- 25• प्राधिकरण ने विनिर्दिष्ट किया है कि सेलुलर मोबाइल से बाहर जाने वाली याने जावक काल का पहला पल्स 60 सेकंड का होना

घाटिस और उसके बाद 30 सेकंड का पल्स रेट होना घाटिस । इससे कुछ अतिरिक्त राजस्व मिलेगा और सेलुलर मोबाइल के लिए कालबंद पैदा करने के प्रयास कम होंगे ।

26. कुछ भी हो, हर परिस्थिति में प्राधिकरण स्थिति को मॉनीटर करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो आगामी वर्ष में टैरिफ की समीक्षा करके उक्त स्थिति का समाधान करेगा । समीक्षा करने के दौरान लाइसेंस शुल्क के भुगतान में परिवर्तन के साथ-साथ सेलुलर मोबाइल की नीति के दायरे में महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर विचार किया जाएगा । इस संबंध में दूरसंचार टैरिफ आदेश {टी टी ओ} 1999 के पैराग्राफ 147 में प्राधिकरण के कथन पर ध्यान देना आवश्यक है "वर्तमान सेलुलर उद्योग में व्याप्त परिस्थितियों की दृष्टि से नीतिगत परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यदि आवश्यक समझा गया तो प्राधिकरण अधिसूचित टैरिफों की समीक्षा व उनमें संशोधन करेगा" ।
27. स्थानीय कॉलों की भाँति एस टी डी कॉलों के प्रारंभ में दोगुनी पल्स निरीक्षण की गई है । परिणाम स्वरूप पल्स रेट या दरें इस प्रकार रखी गई हैं कि प्राप्त की गई राशि से टैरिफिंग सेलुलर मोबाइल नेटवर्क को एस टी डी का भुगतान हो सके । बुनियादी सेवा उपभोक्ताओं के लिए ये पल्स दरें टी०टी०ओ० 1999 की अनुसूची 1 में क्रिस् गस परिवर्तनों में निरीक्षण की गई हैं । साथ ही साथ {बुनियादी सेवा उपभोक्ता को क्रिस् गस एस टी डी} कॉल के लिए टी टी ओ 1999 में निरीक्षण राशि की भाँति { परिवर्तनों का उदाहरण भी उसमें प्रस्तुत किया गया है । सेलुलर मोबाइल को छोड़कर, एस टी डी कॉलों के लिए वही प्रभार लागू होंगे जो टी टी ओ 1999 में निरीक्षण हैं ।

- 28- इस समय, मानक टैरिफ पैकेज के अंतर्गत, सेलुलर मोबाइल से सेलुलर मोबाइल तक किस तरह से एस टी डी काल के लिए जो बुनियादी नेटवर्क अर्थात् दूरसंचार विभाग नेटवर्क से गुजरे, कॉलिंग पार्टी से, बुनियादी सेवा उपभोक्ता द्वारा किस तरह कॉल के समतुल्य स्पेरटाइम तथा एस टी डी कॉल का प्रभार वसूल किया जाता है ; सी पी पी के आ जाने के बाद भी वही प्रणाली जारी रहेगी लेकिन लागू प्लस दरें बुनियादी सेवा उपभोक्ता के लिए लागू एस टी डी कॉलों की दरों से भिन्न होंगी ताकि एस टी डी के लिए राजस्व मिले । यही बात बुनियादी सेवा से सेलुलर मोबाइल की कालों पर लागू होती है याने एस टी डी के भुगतान के निमित्त प्लस रेटों में अधिक टैरिफ अंतिमीकृत होगा । एस टी डी प्रभार का विस्तृत विवरण दूरसंचार इंटरकनेक्शन प्रभार एवं राजस्व भागीदारी - प्रथम संशोधन विनियम, 1999 में दिया गया है ।
- 29- प्राधिकरण ने अपने 31 अगस्त 1999 के परामर्श पत्र में यह सवाल उठाया था कि क्या, सेलुलर मोबाइल टैरिफों के प्रयोजन के लिए मैट्रो और पौरमंडल या सीकिल सेवा क्षेत्रों को अलग अलग माना जाए । हालांकि सारे उत्तरों में समानता नहीं थी पर यह एक जोरदार राय थी कि, टैरिफ और / या लाइसेंस शुल्क प्रणाली के जरिये इनको अलग मानने के पर्याप्त आधार हैं । प्राधिकरण ने टैरिफों पर अपने दूसरे परामर्श पत्र में भी, सीकिलों में लागत अंतर पर ध्यान दिया था । दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 लंबी दूरी की कालों के मामले में, सीकिल सेवा क्षेत्रों को टैरिफ संबंधी अधिक लचीलापन देने का प्रयास करता है । इस मामले पर और विचार करने पर यह देखा जा सकता है कि सीकिलों में न केवल लागतें अधिक होती हैं बल्कि वहां सेवा का विस्तार और भिन्नता

भी मैट्रो क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा होती है क्योंकि उनका भौगोलिक क्षेत्र अधिक होता है। प्राथिकरण की राय में, टैरिफों की दृष्टि से, सर्किल और मैट्रो क्षेत्रों को अलग तरीके से देखना चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान आदेश उस टैरिफ प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है जो दिनांक 9 मार्च 1999 के दूरसंचार टैरिफ आदेश 1999 में निर्दिष्ट हैं क्योंकि यह सर्किल और मैट्रो के लिए भिन्न भिन्न टैरिफ रखता है। इस आदेश द्वारा निर्दिष्ट मानक टैरिफ पैकेज में, सर्किलों के लिए, जायक कालों के मामले में, किरास और सअर टाइम प्रभार दोनों ही, मैट्रो सेवा क्षेत्रों की तुलना में अधिक हैं। चूंकि सर्किलों में लागतों का पूरा करने की दृष्टि से टैरिफों को बढ़ा सकने की भी एक सीमा है इसलिए इस विकेन्द्रक तत्व से प्राथिकरण की इस संभावना का भी संकेत मिलता है कि, राजस्व की प्रतिष्ठाता के रूप में लेवी रिकस जाने वाले लाइसेंस शुल्क की सिफारिशों में भी, सर्किल और मैट्रो में भेद रखा जाएगा। सेलुलर सेवा प्रदाताओं की विवस्तीय स्थिति, और कैषा प्लो के आकलन के विस्तृत विश्लेषण इस तरह की सिफारिशों का आधार बनेंगे।

30. पिस्तहाल, स्थानीय कॉल पी सी ओ और सिक्के वाले क्लेक्शन बाक्सों से रिकस जाने वाले कॉलों के लिए पी पी पी व्यवस्था कार्यान्वित नहीं की जा सकती। इस विरिक्त पर भीषय में विषार किया जाएगा। इस संबंध में यह नोट किया जाना चाहिए कि एस टी डी/आई एस डी पी सी ओ बूध और व्यक्ति द्वारा संचालित ट्रंक कॉल सेवा से, पी पी पी प्रणाली के तहत, सेलुलर मोबाइल तक कॉल किया जा सकेगा।
31. रोमिंग और कॉल फारपीडिंग संबंधी स्थितियों को दो कॉल मानना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, रोमिंग को दो कॉलों की संकल्पना मानना चाहिए। पहली रोमर के घर तक और दूसरी जब रोमर

घर पर न हो, तो घर से अन्य स्थान तक की गई कॉल । पहली कॉल को अन्य कॉलों के समान मानना चाहिए और कॉल के दूसरे अंश को रीमिंग अंश मानना चाहिए । पहली कॉल श्रुयानि कॉल के प्रथम अंश के लिए टैरिफ निर्धारित किया गया है, और दूसरे अंश पर निरपेक्षता होगी ।

32. इसी प्रकार कॉल फारवर्डिंग भी दो कॉलें मानी जाएगी । पहली प्रेषित करने से पूर्व कॉलिंग पार्टी से कॉल की गई पार्टी को, और दूसरी पार्टी को प्रेषित करने से पूर्व कॉल की पार्टी से उस पार्टी को जिसे कॉल प्रेषित की गई है । इन दोनों कॉलों को अलग-अलग दो कॉलें माना जाएगा । पहले अंश के लिए कॉलिंग पार्टी आरीभक कॉलिंग पार्टी है और दूसरे अंश के लिए कॉलिंग पार्टी वह पार्टी है जिसने कॉल अग्रेषित किया है ।

33. सी पी पी प्रणाली के संबंध में एक महत्वपूर्ण विंदु यह है कि ग्राहक सेलूलर मोबाइल तक के, कॉलों के लिए डायनामिक लॉक की सुविधा मांग सकते हैं । साथ ही साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनसे गलत प्रकार तो नहीं लिया जा रहा वे बिबल का विस्तृत विवरण भी मांग सकते हैं । प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि सभी बुनियादी सेवा उपभोक्ताओं को शुरू में सेलूलर मोबाइल तक कॉल करने की सुविधा दी जानी चाहिए, तथापि, उपभोक्ता को यह निर्णय लेने की आजादी होनी चाहिए कि वह बुनियादी नेटवर्क से सेलूलर नेटवर्क तक की अपनी कॉलों को बंद करने या रोकने की सुविधा चाहता है या नहीं । साथ ही, जो ग्राहक सेलूलर नेटवर्क से जुड़ना चाहता है उसको ऐसा कनेक्शन प्राप्त करने के लिए इस तरह से बाध्य नहीं किया जाना चाहिए कि उस पर अतिरिक्त बोझ पड़े ।

## TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

## NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 1999

No. 301-4/99-TRAI(Econ).—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 to notify, by an Order in the Official Gazette, tariffs at which Telecommunication Services within India and outside India shall be provided, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order.

**THE TELECOMMUNICATION TARIFF (FIFTH AMENDMENT)  
ORDER 1999  
(6 of 1999)**

1. Short title, extent and commencement:
- (i) This Order shall be called "The Telecommunication Tariff (Fifth Amendment) Order 1999."
- (ii) The provisions of this Order shall to the extent of their variance override those of the Telecommunication Tariff Order 1999, Telecommunication Tariff (First Amendment) Order 1999, Telecommunication Tariff (Second Amendment) Order 1999, Telecommunication Tariff (Third Amendment) Order 1999 and Telecommunication Tariff (Fourth Amendment) Order 1999.
- (iii) In this Order, "Act" means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.
2. In Schedule I (Basic Services other than ISDN) of the Telecommunication Tariff Order 1999, with effect from the date of implementation of the calling party pays (CPP) regime for cellular mobile:

- (i) Item 1 bis to be added as under:

<b><u>(1.bis) Date of implementation for tariffs for calls to cellular mobile under a calling party pays tariff (CPP) regime for cellular mobile</u></b>	01 November, 1999
--	-------------------

- (ii) Under Item 11, Item 11.a.bis as under to be inserted between Items 11.a and 11.b

<b><u>(11) Pulse Rate for local calls</u></b>	
<b><u>(11.a.bis) Calls to cellular mobile</u></b>	Two pulses on answer at the beginning of the call, and one pulse every 60 seconds thereafter



- (iii) Under Item 12, Item 12.a.bis as under to be inserted after Item 12.a, and Items 12.a.bis.i to 12.a.bis.iii as under to be inserted after Item 12.a.iii:

<b>(12) Pulse rates for peak hours</b>		
<b>(12.a.bis) For Subscriber trunk dialed domestic long distance calls to cellular mobile</b>	Two pulses on answer at the beginning of the call, and one pulse thereafter at the rates specified below.	
	<b>Radial distance Between the originating charging centre and charging centre in which the Gateway MSC Is located</b>	<b>From 1 November, 1999 to 31 March, 2000</b>  <b>(Seconds)</b>
	Up to 50 kms.	Same as for local call to cellular mobile
	Above 50 kms. and up to 200 kms.	11
	Above 200 kms. and up to 500 kms.	4.4
	Above 500 kms. and up to 1,000 kms.	3.3
	Above 1,000 kms.	2.3
<p><b>Note:</b>            (1) The pulse rates for subsequent period will be separately prescribed later.            (2) "Gateway MSC" is the MSC which is connected to other public networks, such as PSTN, by a clearly defined Network-Network Interface.</p>		

2776 GI/99-4

<b>(12.a.bis.i) Peak hour tariffs for a STD call of one minute duration to cellular mobile at pulse charge of Rs. 0.80 per metered call</b>	<b>Radial distance between the originating charging centre and charging centre in which the Gateway MSC Is located</b>	<b>From 1 November, 1999 to 31 March, 2000</b>
		<b>(Rs.)</b>
	Up to 50 kms.	2.40
	Above 50 kms. and up to 200 kms.	5.60
	Above 200 kms. and up to 500 kms.	12.00
	Above 500 kms. and up to 1,000 kms.	16.00
	Above 1,000 kms.	22.40
	<u>Note:</u> The above amounts provide for a double pulse on answer.	
<b>(12.a.bis.ii) Peak hour tariffs for a STD call of one minute duration to cellular mobile at pulse charge of Re. 1 per metered call</b>	<b>Radial distance between the originating charging centre and charging centre in which the Gateway MSC Is located</b>	<b>From 1 November, 1999 to 31 March, 2000</b>
		<b>(Rs.)</b>
	Up to 50 kms.	3.00
	Above 50 kms. and up to 200 kms.	7.00
	Above 200 kms. and up to 500 kms.	15.00
	Above 500 kms. and up to 1,000 kms.	20.00
	Above 1,000 kms.	28.00
	<u>Note:</u> The above amounts provide for a double pulse on answer.	

<b>(12.a.bis.iii) Peak hour tariffs for a STD call of one minute duration to cellular mobile at pulse charge of Ks. 1.20 per metered call</b>	<b>Radial distance between the originating charging centre and charging centre in which the Gateway MSC is located</b>	<b>From 1 November, 1999 to 31 March, 2000</b>	
			<b>(Rs.)</b>
	Up to 50 kms.		3.60
	Above 50 kms and up to 200 kms.		8.40
	Above 200 kms. and up to 500 kms.		18.00
	Above 500 kms. and up to 1,000 kms.		24.00
	Above 1,000 kms.		33.60
<b>Note:</b> The above amounts provide for a double pulse on answer.			

(iv) Under Item 13 a, Item 13.a.i.bis as under to be inserted after Item 13 a.i, and Item 13 a ii bis as under to be inserted after Item 13 a.ii.

<b>(13.a) For manual trunk calls</b>	
<b>(13.a.i.bis) To cellular mobile from/to places with STD facilities</b>	<p>(i) Rs. 5 per call</p> <p><b>Plus</b></p> <p>(ii) Tariff for STD domestic long distance calls, as applicable to calls to cellular mobile</p> <p><b>Provided that,</b> The minimum tariff under this plan may be the amount applicable to a one minute STD domestic long distance call</p> <p>The above tariffs are ceilings.</p>
<b>(13.a.ii.bis) To cellular mobile from/to places without STD facilities</b>	Tariffs shall be the same as in (13 a.i.bis) above, assuming as if these places have STD facilities

3. In Schedule II (Cellular Mobile Telecom Service) of the Telecommunication Tariff Order 1999, with effect from the date of implementation of CPP for cellular mobile, the existing Items 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13 shall be substituted to read as under:

ITEM	TARIFF
<b><u>(1) Date of implementation</u></b>	01 November, 1999
<b><u>(7) Rental</u></b>	Rs 475 per month for metro service areas, and Rs 500 per month for circle service areas
<b><u>(8) Airtime charge for all outgoing calls during standard hours</u></b>	(a) For metro service areas: Rs. 4 per minute for the first minute and thereafter Rs. 2 per 30 seconds duration (b) For circle service areas: Rs 4 50 per minute for the first minute and thereafter Rs. 2 25 per 30 seconds duration
<b><u>(9) Airtime charge for all outgoing calls during concessional hours</u></b>	Forbearance, subject to condition that tariff should be below standard hour tariff; Provided that airtime during Sundays and three National Holidays (26 <sup>th</sup> January, 15 <sup>th</sup> August, and 2 <sup>nd</sup> October) shall be priced at Concessional rates
<b><u>(10) Tariffs for all incoming calls to cellular mobile</u></b>	No charge to the called party
<b><u>(11) Tariffs for outgoing calls from Mobile to PSTN</u></b>	Tariff to comprise airtime, <u>plus</u> Supplementary long distance charge if applicable; <u>plus</u> Payment by cellular mobile network provider to PSTN network provider for local or long distance call as applicable from time to time for the fixed network
<b><u>(12) Tariffs for outgoing calls from Mobile to Mobile within Metro Licensee Service Areas</u></b>	Calling party to pay airtime, <u>and</u> If call is to another network, to pay an additional charge specified in the Telecommunication Interconnection (Charges and Revenue Sharing – First Amendment) Regulation 1999, by way of revenue share to the terminating cellular mobile network
<b><u>(13) Tariffs for outgoing calls from Mobile to Mobile not included in item (12) above</u></b>	Tariff to comprise airtime, <u>plus</u> A supplementary long distance charge based on distance, <u>and</u> If call is to another network, an additional charge specified in the Telecommunication Interconnection (Charges and Revenue Sharing – First Amendment) Regulation 1999, by way of revenue share to the terminating cellular mobile network.  The Service Provider shall make the calling party aware of the quantum of the supplementary charge to be paid by the party, by making appropriate technical arrangements

**Notes:**

1. Call-forwarding shall be treated as two calls, one from calling party to called party prior to call being forwarded, another from called party to the number where call is forwarded. The tariffs specified in this Order apply to the calling party in each of these two calls. In the case of the second call (i.e. the forwarded call), the called party that forwards the call shall be treated as the calling party for that call.
2. Roaming shall be treated as two calls, similar to call-forwarding. One, from calling party to the called party, prior to the transfer of the call (if any) to the called party in case of roaming. The other, in case of roaming, from the called number to the roaming party. The tariffs specified in this Order apply to the first portion of the call, with the second portion (i.e. forwarding the call to the roaming party) at present subject to forbearance.
3. This Order contains at Annex A, an Explanatory Memorandum - 5 that explains the reasons for this amendment to the Telecommunication Tariff Order 1999.

By Order,

HARSHA VARDHANA SINGH, Economic Advisor

[No. ADVT.-3/4/Exty./142/99]

**ANNEX A**  
**EXPLANATORY MEMORANDUM - 5**

1. The Authority's consultations leading to the Telecommunication Tariff Order (TTO) 1999 showed a widely held view that airtime charge for incoming calls is a strong disincentive that limited the use of the phone. In several instances, it was pointed out that cellular mobile subscribers were reluctant to give their numbers to others so as to avoid payment of airtime charge for incoming calls. This was also reportedly one of the reasons for the telephone directory for cellular mobile subscribers not being made available.
2. An important objective of the telecom tariff mechanism is to encourage usage, and a calling party pays (CPP) regime for cellular mobile (similar to that prevailing for basic services) would contribute in a major way towards this objective. Further, CPP would make the mobile cellular service more affordable to cellular mobile subscribers, including those receiving calls in rural areas. It also transfers the payment responsibility to the calling party, which is the party that needs to make the call in order to contact the called party. Greater usage will lead to consumer satisfaction in general and to greater economic and social interaction. Over time, this will lead to lower average costs and thus provide a basis for reducing tariffs for both cellular mobile and basic services. The Authority therefore decided to implement CPP for the cellular mobile sector.
3. In its TTO 1999, the Authority had stated that CPP regime would be implemented for the cellular mobile sector from 1 August, 1999. This decision was taken in consultation with various service providers, in particular the Department of Telecommunications (DOT). During the Authority's more recent consultations with the service providers directly involved in making the changes required for CPP, it has emerged that some additional time period would be needed to implement CPP.
4. A comprehensive change that addresses all the problems inherent in altering from the present system to CPP would require substantial technical up-gradation in several areas. At present, CPP is being introduced in a manner that deals with most aspects of the situation, while pointing a need to address certain issues in the future.
5. In the course of its consideration of the tariff regime under CPP, there was a major policy development that led to an ad interim change in the license fee payments by cellular service providers. Under the new regime, there would, in general, be a substantial reduction in the license fee payments by the service providers. The reduction in license fee, which is an element of cost, would improve the viability of the service providers. The Authority recognizes that there is still a measure of uncertainty about the application of the revenue share arrangement. However, the Authority is of the opinion that when there are substantial cost changes, the tariff should reflect these changes. For example,

with the cost decrease encompassed in the migration to the new license fee regime, the benefit should be passed on also to the customer in the form of lower tariffs. Consequently, the Authority prepared a consultation paper (Consultation paper No 99/4, dated 31 August, 1999) based on quick estimates, and proposed certain tariff reduction arising due to the changed license fee regime within a framework of CPP for cellular mobile

6. An open-house consultation meeting was held in New Delhi on this issue on 7 September, 1999. The main points that emerged from the meeting were that:

- the amount proposed as revenue for incoming call (Rs 0.60 per minute on the basis of a three-minute call) was extremely low – a contrasting view was that of the basic service providers, namely that Rs. 0.60 per minute was too high an amount to give the cellular service providers,
- the adverse effect of the above low amount would be accentuated due to the call-back to cellular mobile that would arise on account of the relatively low tariff for basic to cellular mobile calls;
- metros and circles should be treated in a different manner,
- the proposed tariffs would adversely affect the possibility for financial closure (and financial viability) for cellular mobile service providers, especially in view of the existing deficits incurred by the service providers;
- in this context, internal rates of return should not be emphasised, instead the cash-flow position should be emphasised;
- the increase in CAPEX would be much more than is taken into account by the Consultation Paper,
- there is a need for cellular mobile to obtain an ad interim revenue share from long distance tariffs,
- tariffs should not be changed before the revised license fee regime is actually implemented on a permanent basis,
- the tariff regime should have stability and should not be frequently altered;
- the CPP regime would involve additional expenditure by the basic service providers

7. Those making a claim that their financial position would be adversely affected by the proposed tariffs were asked by TRAI to present data to support their claims. Some of the data that has been provided to TRAI suggests that the analysis (and data) were not appropriate to consider the impact of the proposed tariffs. The TRAI will continue its examination of the corrected information that will be provided to it in this regard. Meanwhile, on a purely ad interim basis, the TRAI is notifying certain tariff reductions together with the introduction of the CPP regime for cellular mobile. This notification is made for the following reasons:

- customers should obtain the benefits of a reduction in costs in the form of reduced tariffs,
- to the extent that this reduction is delayed, the reduction in cost under a new license fee regime would have occurred for a significant time period and

- passing the benefits to customers for the interim duration would be a difficult task;
- a case of providing customers with the benefits of a substantial cost reduction is even stronger when one considers the actual tariffs packages (with low tariffs) that are actually applied in several places;
  - further, the present exercise has to be seen together with two other initiatives of the TRAI, one on cost based access/usage charge regime, and the other on the recommendation for the percentage of revenue that should be charged as license fee;
  - these initiatives are important because the viability exercise involves both tariffs as well as the percentage of revenue to be charged as license fee, and because the access/usage charge regime addresses the issue of a low incoming revenue for cellular mobile;
  - the revised tariff regime would also incorporate the effect of the levy to be proposed for funding Universal Service Obligations.
8. The main feature of a CPP regime for the cellular mobile subscriber is that no payment is made for incoming calls. The cellular mobile tariff as presently determined by the Authority has a charge for incoming calls. The overall tariff structure in the Telecommunication Tariff Order 1999, including the charge for incoming calls, was determined by the Authority to cover the costs incurred in providing the cellular mobile service. As explained in the second Consultation Paper on tariffs (Consultation Paper No 98/3, dated 9 September, 1999), these costs were for metro service areas because of the difficulty in linking cellular mobile tariffs to costs in circle service areas. Any removal of the charge for incoming calls under CPP would result in a reduction in revenue that is available to cover the costs for cellular mobile service providers. While the introduction of CPP would give rise to an increase in usage and subscriber base for cellular mobile, the incremental revenue provided by this usage and subscriber base is unlikely to fully compensate the reduction in revenue due to the removal of the incoming call charge. Hence, some revenue to cover the costs involved has to be provided from another source in order to help the cellular mobile service provider to remain viable. As mentioned above, this revenue would not be additional revenue for cellular mobile but a partial substitute for the revenue that is presently provided by incoming call charge for cellular mobile.
9. Irrespective of the revenue aspect mentioned above, each incoming call to cellular mobile should be provided with revenues to the terminating network because of the task of completing the call by the network, and because without such a revenue there will not be any incentive for maintaining the network. Further, in general, such a cost should cover costs in a situation where there is a strong likelihood of call-back. This revenue for incoming calls is funded mainly from calls from basic service to cellular mobile service.
10. In several countries, as shown in the second Consultation Paper on tariffs, a call from basic service to cellular mobile costs more than a similar call to basic service



subscriber A call to cellular mobile provides a premium service because the called party can be contacted in situations not ordinarily possible with a fixed line services. Hence, it is justifiable to ask the calling party to pay an additional amount for utilizing this premium service (which is not, for instance, a service that is to be provided under a Universal Service Obligation). In addition, as mentioned above, this call charge has also to fund the payment of incoming calls made to cellular mobile.

11. The second Consultation Paper on tariffs had proposed a revenue sharing arrangement under which calls from basic service subscriber to cellular mobile were to be charged at Rs. 3.90 per minute, and that 85 per cent of this amount be passed on to the cellular mobile service provider.
12. The Authority has received several comments on its proposals regarding CPP. In general, the introduction of CPP is supported by all concerned. However, some state that a tariff of Rs. 3.90 per minute (or of Rs. 3.60 per minute subsequent to the TTO 1999) is too high an amount and will discourage calls being made from basic service subscriber to cellular mobile subscriber. Further, while basic service providers want to retain 40 to 50 per cent of the amount charged per minute for such calls, cellular mobile service providers want a share larger than 85 per cent. Both support their claims on the grounds that their revenues would decline in the alternative scenario. In this regard, basic service providers have also pointed out that they provide a number of calls free of charge, or at tariff rates below the upper limit of Rs. 1.20 per metered call. It should be recalled that the Department of Telecommunications had emphasized during the tariff re-balancing exercise that their revenues should not decline substantially if national telecom development and objectives of attaining the desired improvement in teledensity have to be achieved.
13. These diverse, and conflicting, objectives emphasised by different service providers have to be considered together with the objective that there should not be an undue burden on customers. In this regard, it is important to bear in mind that cellular mobile service facilitates others to get in touch with the cellular mobile subscriber (i.e. these are premium calls). The CPP regime makes it more likely for the cellular mobile subscriber to respond to the calls of those who seek that subscriber on the cellular mobile phone.
14. The statement that the CPP regime will imply lower cost burden for the users of cellular mobile is self-evident. Under the CPP regime, tariffs specified by the Authority for a call from basic service subscriber to cellular mobile balance two important objectives: keeping low the charge for this premium call by basic service subscribers, while providing a reasonable amount of revenue to cellular mobile network to partially substitute for the revenue loss on account of removing the incoming call charge for cellular mobile, and to pay for utilizing the network.

15. The revenue share arrangement specified here is an ad interim arrangement, and is aimed at providing an amount for the usage of the cellular mobile network. This will be replaced later by a cost-based usage charge that will be derived by the Authority. The ad interim revenue share provides some payment for usage as a termination charge. In this Order, this revenue provided to the terminating cellular network for incoming calls is termed as “mobile termination charge” (MTC).
16. CPP for cellular mobile is being implemented in a manner that the terminating cellular mobile network receives MTC for all incoming calls, whether from basic service subscriber or from cellular mobile, except for calls made within its own network (i.e. intra-network calls). The payment of MTC would be made even for STD or ISD calls (for further detail, see the Telecommunication Interconnection (Charges and Revenue Sharing – First Amendment) Regulation 1999).
17. Further, the same MTC is specified irrespective of the nature of the call, e.g. local, STD, ISD, because that obviates the need to distinguish between these calls being handed over by basic service network to cellular mobile in implementing CPP for cellular mobile. This implies a change in the charges for STD calls made to cellular mobile from both basic as well as cellular mobile subscribers
18. Bearing the various objectives in mind, the Authority has decided that the initial amount paid for calls from basic to cellular mobile should be a minimum charge that provides some reasonable amount of revenue to be shared among the service providers involved. This requires changing the pulse rate in such a manner that the revenue considerations for both service providers are kept in mind, and the customer does not bear an undue burden. The Authority has done this by providing a double pulse at answer for calls from basic service subscriber to cellular mobile, plus providing for a long pulse duration that would in effect make it possible to have a lower tariff than that proposed in the second Consultation Paper on tariff. Thus, for a local call from basic service subscriber to cellular mobile, the customer has a longer time period to converse after paying the initial charge, and the amount charged per minute to the customer decreases for a call longer than one minute.
19. In its recent Consultation Paper of 31 August, 1999, the Authority had proposed a pulse rate of 120 seconds and a payment of Rs 0.60 per pulse to the terminating cellular mobile network for incoming calls. This was with a view to not much disturb the existing situation for basic service subscribers, and because the forthcoming access/usage charge regime would address the charge for incoming calls on a more comprehensive basis. That exercise will also address certain other aspects such as revenue share for cellular mobile in long distance call revenues
20. Inputs provided during consultations suggest to the Authority that increase in call-back is a strong possibility even during the interim period for which the present tariff regime is being implemented. Hence, the burden of keeping a low charge of

Rs 0.60 per pulse would get exacerbated, and needs to be addressed. This implies a higher tariff for calls from basic to cellular mobile than was suggested in the Consultation Paper of 31 August, 1999. This would provide for higher revenue on incoming calls as well address, to some extent, the issue of call-back to cellular mobile. However, the Authority is still of the opinion that the revenues for incoming calls during the interim regime should not be as high as, for example, suggested in the second Consultation Paper on tariffs.

21. The Authority has decided that for local calls from basic service to cellular mobile, the call should have a double pulse on answer and a pulse rate of one minute. Hence, if a local call from basic network to cellular mobile is of duration less than 60 seconds, the customer pays for two metered calls, the actual amount paid by the customer depends on the call charge that applies to the metered calls. For a call of 60 seconds, the payment is for three metered calls. The subsequent 60 seconds are charged only one metered call. For illustration, if a charge of Rs 0.80, or Re 1, or Rs 1.20 per metered call is applied, a basic service subscriber making a local call to cellular mobile will pay as follows

Duration of the local call from basic service to cellular mobile	Amount charged if Rs 0.80 charged per metered call	Amount charged if Re 1 charged per metered call	Amount charged if Rs 1.20 charged per metered call
Up to 60 seconds	Rs. 1.60	Rs 2.00	Rs 2.40
60 seconds or more, but less than 2 minutes	Rs. 2.40	Rs. 3.00	Rs. 3.60
2 minutes or more, but less than 3 minutes	Rs. 3.20	Rs 4.00	Rs. 4.80

22. The basic service calling party making a local call is not to pay any additional charge other than that mentioned above, calculated on the basis of a double pulse at the beginning of the call and a 60 second pulse thereafter.
23. The Authority has decided that the terminating cellular mobile network be given Rs. 0.80 per pulse (or metered call unit). Given that a constant amount of MTC per unit time has to be paid to the terminating cellular mobile network, irrespective of the source of the call that transits through (or originates in) a basic service network, the above Table shows that the payment of MTC by the originating service provider is not strictly linked to the tariffs paid by the customer for calls made to cellular mobile. Further, the above-mentioned charges are comprehensive charges for local calls from basic service subscriber to cellular mobile that transit through the basic service network, and the calling party should not be charged any additional amount for payment of usage charge to the transit network.
24. For inter-network cellular mobile to cellular mobile calls, including those which transit through the basic service network, an MTC amount is specified as part of

- the tariff, in addition to the airtime (or other supplementary) charges specified in Schedule II.
- 25 The Authority has specified that the first pulse for an outgoing call from cellular mobile should be 60 seconds, followed thereafter by pulse rates of 30 seconds. This will provide some additional revenue as well as discourage attempts to generate call-back to cellular mobile.
- 26 In any event, the Authority will monitor the situation and address it, if required, in the course of a tariff review next year. The review would also take account any important change in the policy framework for cellular mobile, including those relating to license fee payments. In this regard, it is worth recalling the Authority's statement in paragraph 147 of the Telecommunication Tariff Order (TTO) 1999 that "*In view of the circumstances surrounding the cellular industry at present, the Authority will review and modify notified tariffs, should that become necessary as a result of policy changes*" (emphasis added).
- 27 Similar to local calls, a double pulse is specified at the beginning of a STD call. Subsequently, pulse rates are derived so that the amount charged in general provides for the payment of MTC to the terminating cellular mobile network. For basic service subscribers, these pulse rates are specified in the changes made to Schedule I of the TTO 1999, together with an illustration of the charges for STD calls to cellular mobile (similar to the amounts specified in the TTO 1999 for a STD call made to basic service subscriber). For STD calls other than to cellular mobile, the charges remain as they were specified under TTO 1999.
- 28 At present, under the standard tariff package, the calling party making a STD call from cellular mobile to cellular mobile that transits through basic network (i.e. Department of Telecommunications network) is charged airtime and the STD charge for an equivalent call by the basic service subscriber. The same system would continue with the introduction of CPP, but the applicable pulse rates would be different from those applicable to STD calls to basic service subscriber in order to provide revenues for payment of MTC. The same also applies for calls from basic service to cellular mobile, i.e. the pulse rates would imply a higher tariff in order to make payments of MTC. Details of the MTC charge have been specified in the Telecommunication Interconnection (Charges and Revenue Sharing - First Amendment) Regulation 1999.
- 29 In its Consultation Paper of 31 August, 1999 the Authority had raised the question of whether metro and circles service areas should be treated differently for the purpose of cellular mobile tariffs. Though there was no unanimity in the answers provided, there was a strong body of opinion that there is a basis for differential treatment through tariff and/or the license fee regime. The Authority had noted the cost difference in circles even in its second Consultation Paper on tariffs. The Telecommunication Tariff Order 1999 attempts to provide greater tariff flexibility to circle service area with respect to long distance calls. Further consideration of

the issue suggests that not only are the costs higher in circles, the scope of service in circles is different from that in metros given the larger area of coverage by circles. The Authority is of the opinion that circles and metros need to be treated in a different manner for tariffs. Thus, the present Order marks an important change in the tariff regime that was specified in the Telecommunication Tariff Order 1999, dated 9 March 1999, by specifying different tariffs for metros and circles. In the standard tariff package specified by this Order, both rental and airtime charge for outgoing calls for circles are higher than for metro service area. Since there is a limit on the extent to which tariffs could be raised to cover costs in circles, this differential treatment is also indicative of a possibility of the Authority differentiating between circles and metros in the recommendations for license fee levied in terms of percentage of revenues. Such recommendations will be based on more detailed analysis of the financial situation of cellular service providers, including an assessment of cash flows.

30. At present, CPP cannot be implemented for calls made from local call PCOs and Coin Collection Boxes. This is a gap that would need to be addressed in the future. In this regard it should be noted that STD/ISD PCO booths and manually operated trunk call service will permit calls to cellular mobile under a CPP regime.
31. The situations regarding roaming and call forwarding have to be treated as comprising two calls. For example, roaming should be conceptualized as two calls, one to the home of the roamer and the other from home to another place when the roamer is not home. The first call should be treated as any other call, and the second portion of the call should be treated as the roaming portion. The latter is subject to forbearance, while tariffs have been specified for the former call (i.e. the first portion of the call).
32. Likewise, call forwarding should be treated as two calls, one from the calling party to the called party prior to forwarding, and second from called party prior to forwarding to the party to whom the call has been forwarded. Each of these two call segments should be treated as two separate calls. The calling party for the first segment is the initial calling party, and for the second segment the calling party is the party that has forwarded the call.
33. An important point regarding CPP is that customers may want to have a facility to dynamically lock calls to cellular mobile, and to obtain detailed bills to ensure that they have not been incorrectly charged. The Authority has decided that all basic service subscribers should initially be provided the facility of calling cellular mobile. The subscribers should, however, have the freedom to decide whether they want the facility to bar their calls from basic network to cellular network. At the same time, customers who wish to be connected to the cellular network should not be forced to obtain that connection in a manner that creates an additional burden on them.

